

जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियान –

एक विशेष रिपोर्ट



विशेष रिपोर्ट के संकलन हेतु गठित समिति -

मार्गदर्शक

(Direction & Valuable Guidance)

श्री के. विनोद कुजूर,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)



अध्यक्ष

(Data Collection & Synchronization)

सुश्री सुनीता बारा,
अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति/
चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग



सदस्य

(Data Collection & Synchronization)

कु. शारदा शर्मा,
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी,
दुर्ग, (छ.ग.)



सदस्य

(Data Collection & Synchronization)

कु. प्रियंका गोस्वामी,
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी,
दुर्ग, (छ.ग.)



तकनीकी सहयोग

(Editing, Designing & compiling)

सुश्री निधि दुआ,
वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक,
जिला न्यायालय दुर्ग, (छ.ग.)



सर्वे सहयोगी

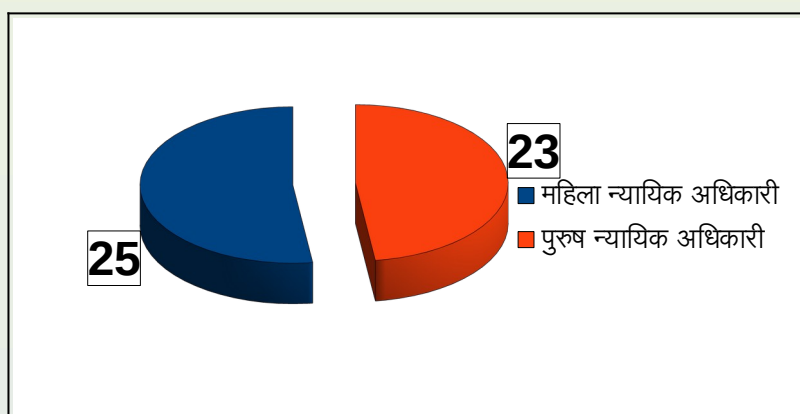
श्री प्रमोद कुमार अचिन्त्य,
डी.एस. ए. जिला न्यायालय
दुर्ग, (छ.ग.)



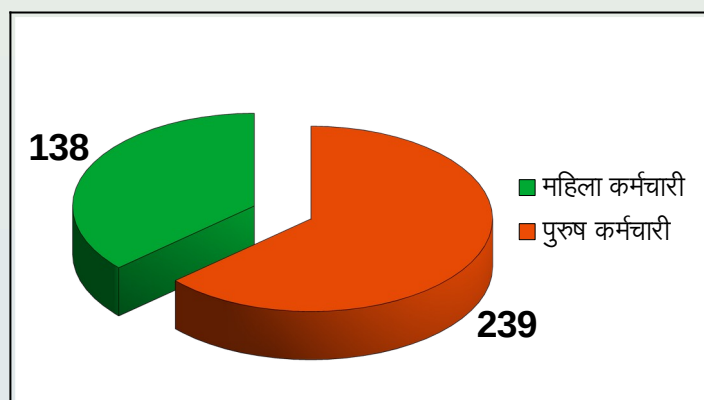
कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियान – एक विशेष रिपोर्ट

महिलाओं के प्रति सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व होने के साथ-साथ एक स्वस्थ संस्थागत वातावरण की अनिवार्य शर्त है। वर्तमान में जिला न्यायालय दुर्ग में कुल 48 न्यायिक अधिकारी पदस्थ हैं, जिनमें से 25 महिला न्यायिक अधिकारी हैं। प्रकार कुल 52 % महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 377 है, जिनमें से महिलाओं की संख्या 138 है। इस प्रकार महिलाओं का प्रतिनिधित्व 36.6 % है। कार्यरत न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियों की महिला एवं पुरुष वर्ग वार संख्या निम्नानुसार है-

महिला न्यायिक अधिकारी	25
पुरुष न्यायिक अधिकारी	23
महिला कर्मचारी	138
पुरुष कर्मचारी	239



कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की वर्ग वार संख्या



कर्मचारियों की वर्ग वार संख्या

सर्वेक्षण-

जिला न्यायालय दुर्ग में कार्यरत महिलाओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 51 महिलाओं के समूह के साथ कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के संबंध में दिनांक 12/01/2026 एक सर्वेक्षण (Survey) किया गया। यह सर्वे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की भावना के अनुरूप आयोजित किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करना था -

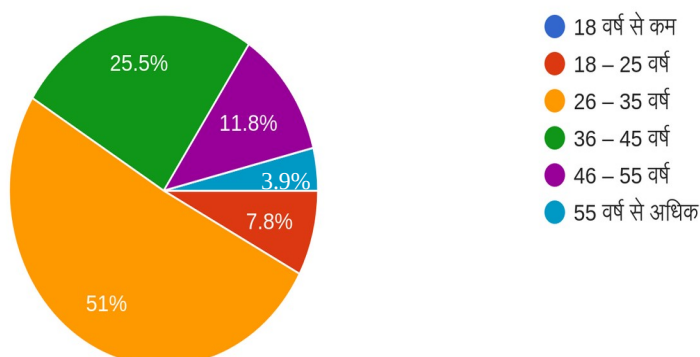
- कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की स्थिति का आकलन करना।
- उत्पीड़न (शारीरिक, मानसिक, मौखिक, लैंगिक या डिजिटल) से संबंधित अनुभवों की पहचान करना।
- आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना।
- भविष्य में सुधारात्मक एवं निवारक उपायों हेतु सुझाव प्राप्त करना।

सर्वेक्षण की विधि -

इस सर्वे में जिला न्यायालय दुर्ग में गठित विशाखा कमिटी के द्वारा कार्य स्थल पर ही विभिन्न ऐज ग्रुप की महिलाओं से कार्य स्थल पर उत्पीड़न के संबंध में **गूगल सर्वे** के माध्यम से गोपनीय प्रश्नावली (ऑनलाइन) पूछे जाकर डाटा एकत्रित किया गया। जोकि निम्नानुसार है -

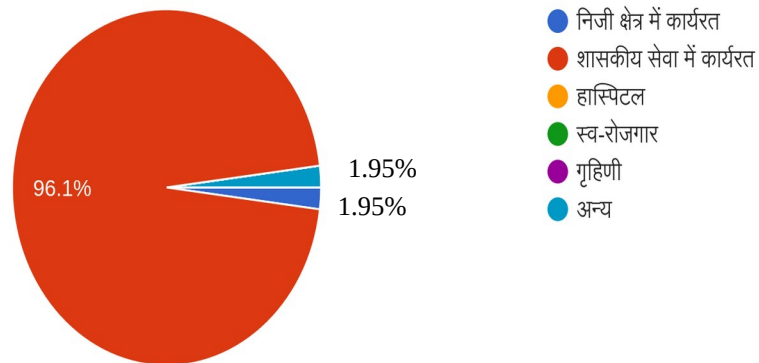
आयु वर्ग

51 responses



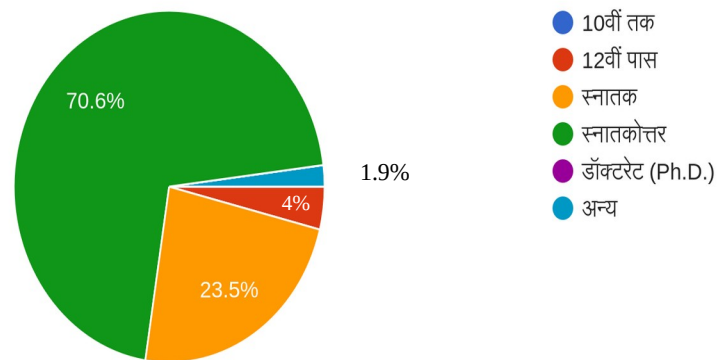
वर्तमान स्थिति / व्यवसाय

51 responses



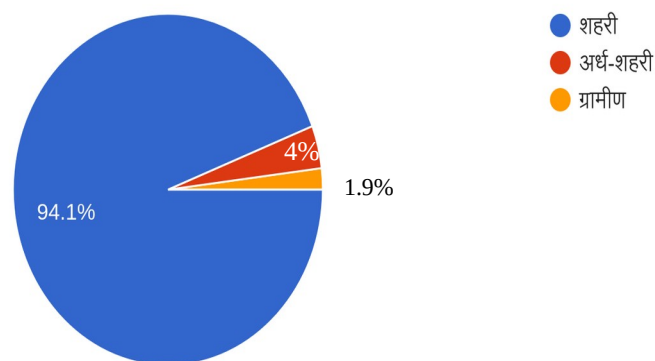
शैक्षणिक योग्यता

51 responses



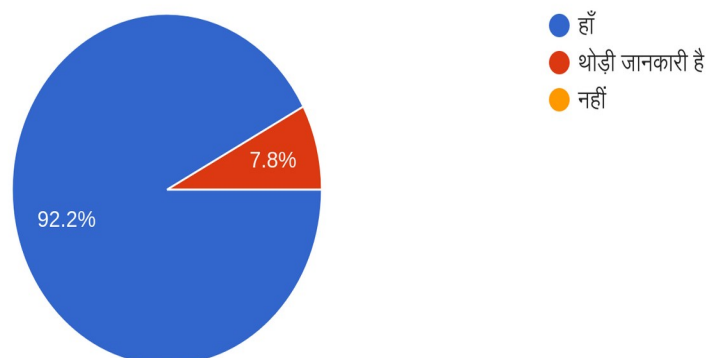
निवास क्षेत्र

51 responses



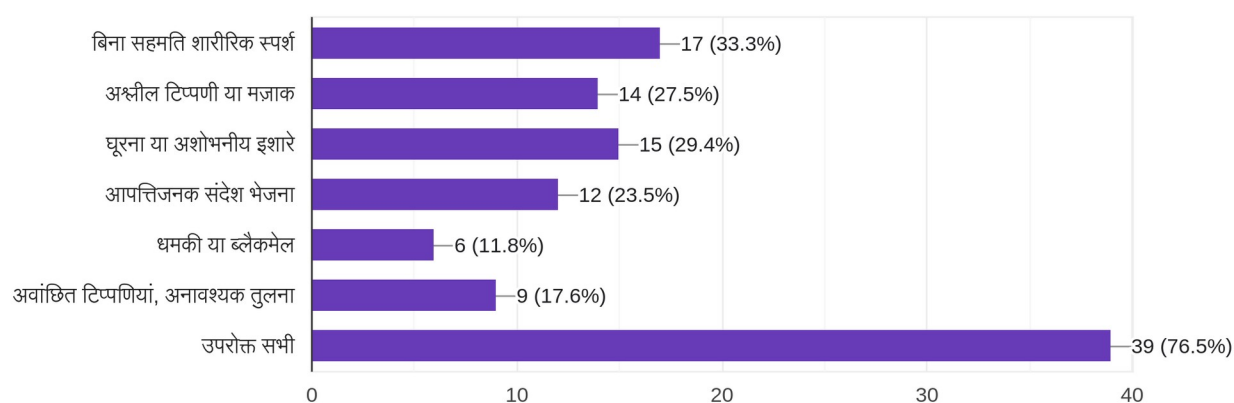
क्या आप जानती हैं कि यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं?

51 responses



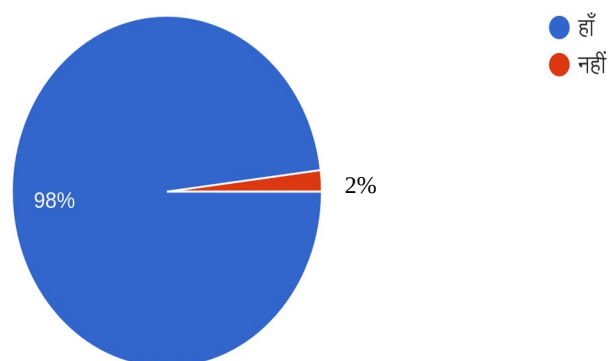
निम्न में से किन्हें आप यौन उत्पीड़न मानती हैं? (एक से अधिक चुन सकती हैं)

51 responses



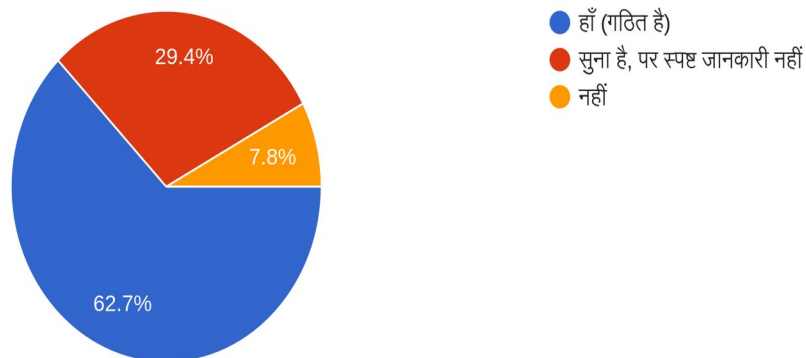
क्या आप जानती हैं कि यौन उत्पीड़न कानूनन दंडनीय अपराध है?

51 responses



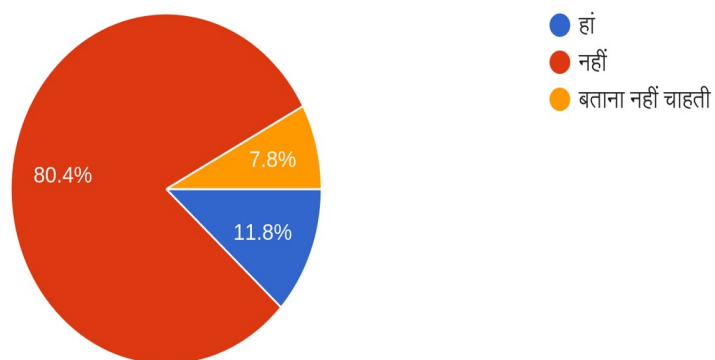
क्या आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत समिति (POSH / आंतरिक समिति) के बारे में जानती हैं?

51 responses



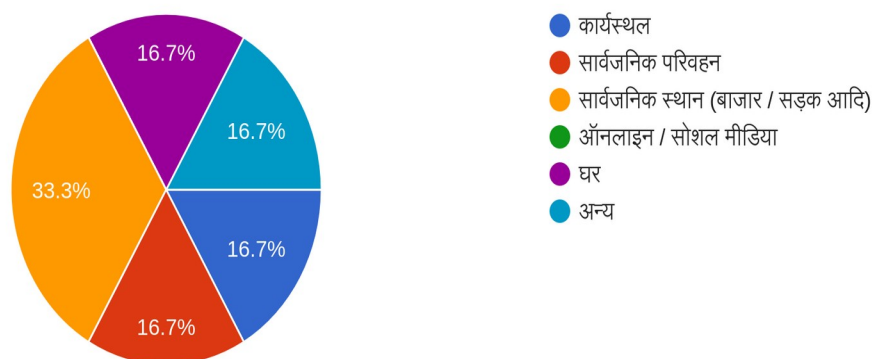
क्या आपने कभी किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न अनुभव किया है?

51 responses



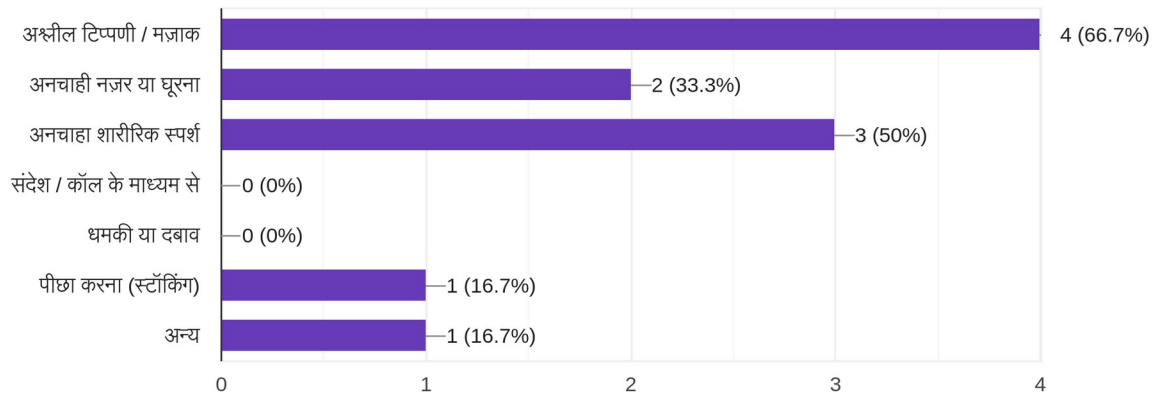
यदि हाँ, यह घटना कहाँ हुई?

6 responses



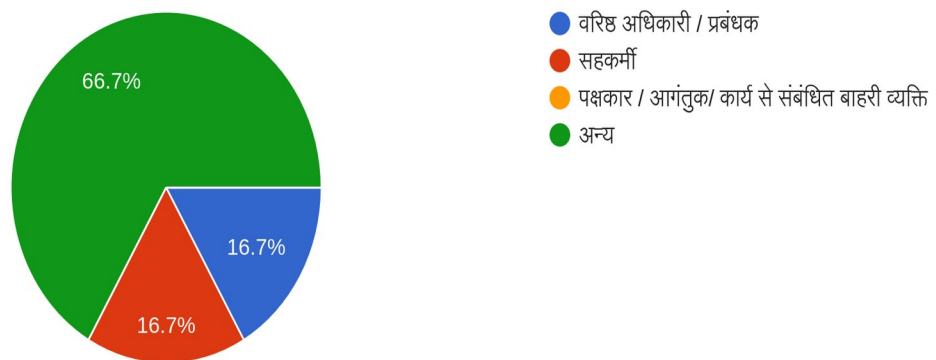
यदि हाँ, तो उत्पीड़न किस प्रकार का था? (एक से अधिक चुन सकती हैं)

6 responses



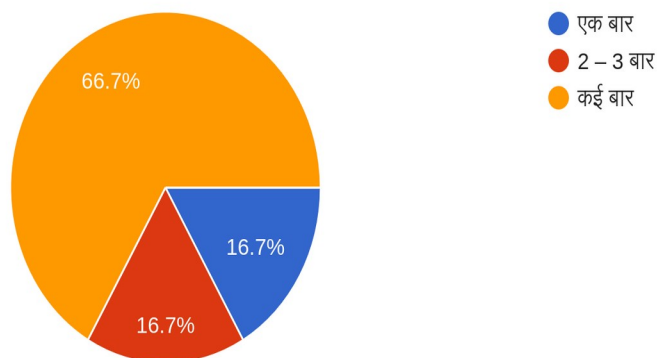
उत्पीड़न किसने किया?

6 responses



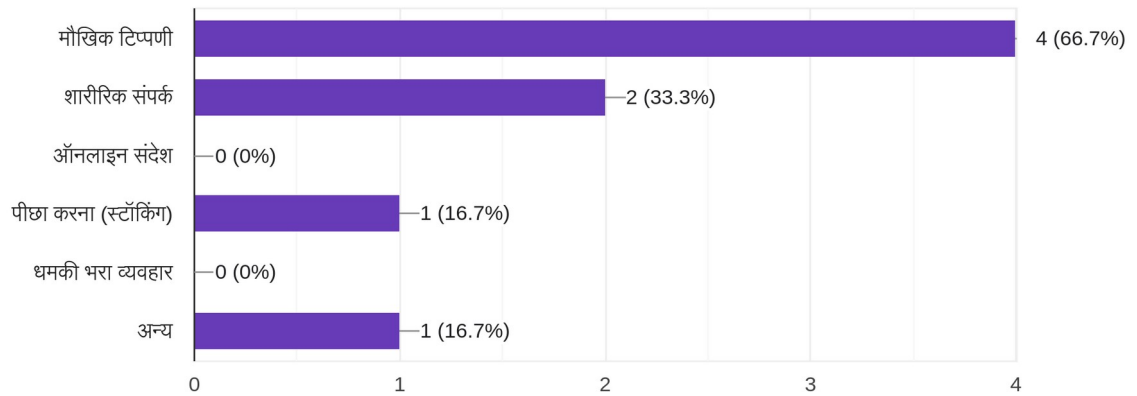
यह घटना कितनी बार हुई?

6 responses



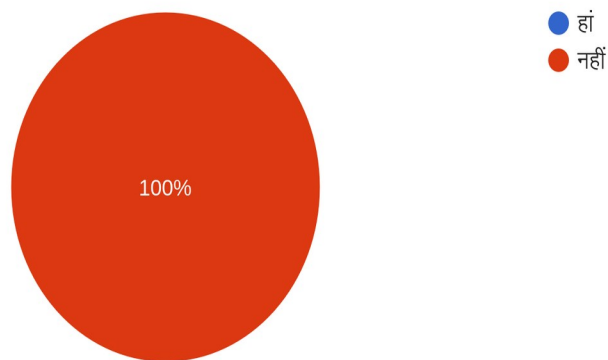
उत्पीड़न किस प्रकार का था? (एक से अधिक चुन सकते हैं)

6 responses



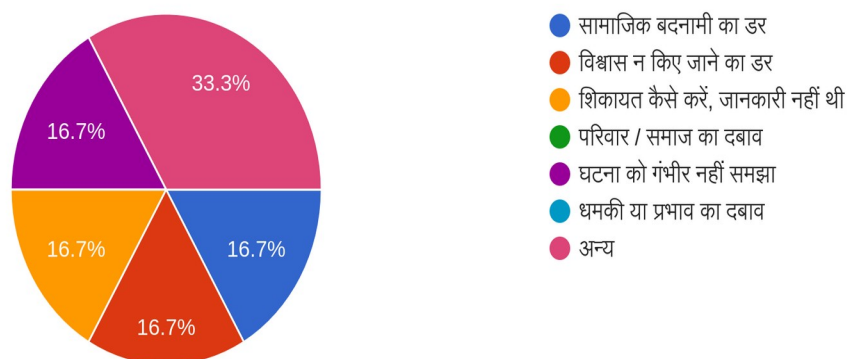
क्या आपने इस घटना की शिकायत की?

6 responses



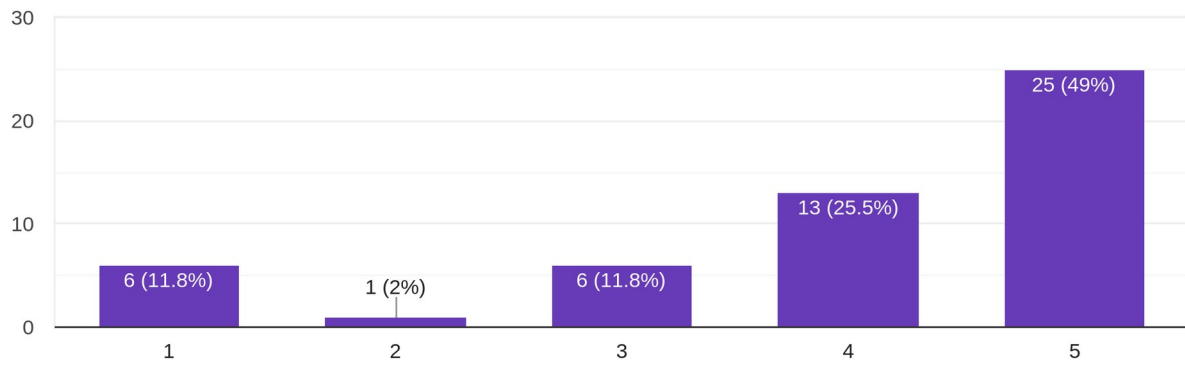
यदि शिकायत नहीं की, मुख्य कारण क्या था?

6 responses



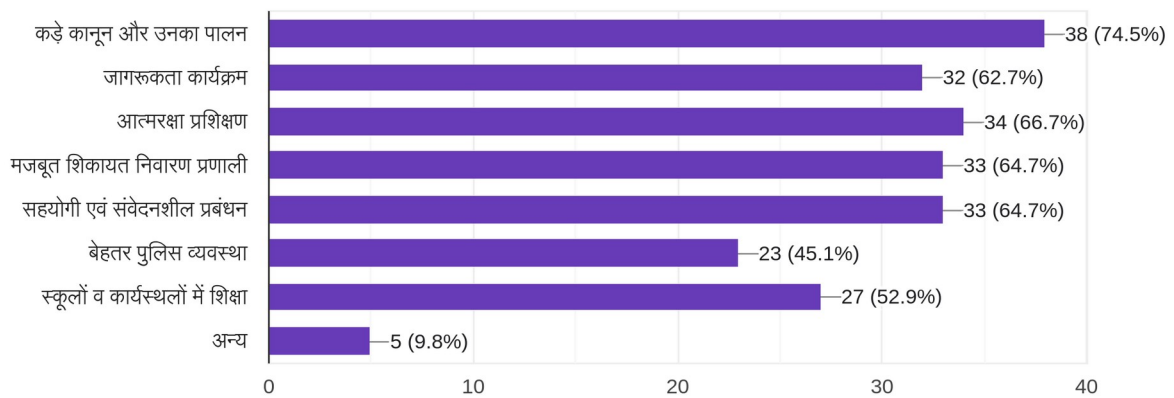
क्या आप अपने कार्यस्थल पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं? (1 से 5 तक व्यक्त करें, 5 = पूर्ण सुरक्षित)

51 responses



आपके अनुसार कार्यस्थल को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाने हेतु क्या आवश्यक है? (एक से अधिक चुन सकती हैं)

51 responses



सर्वे के प्रमुख निष्कर्ष

- अधिकांश महिलाओं ने कार्यस्थल को सामान्यतः सुरक्षित एवं सहयोगात्मक बताया।
- कई महिलाएँ कार्यस्थल पर उत्पीड़न का अनुभव करती हैं।
- कई महिलाओं ने औपचारिक शिकायत दर्ज न कराने का कारण सामाजिक संकोच, भय या प्रक्रिया की अपर्याप्त जानकारी बताया।
- कुछ महिलाओं को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की संरचना एवं प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी।
- तथापि, शिकायत प्रक्रिया, समय-सीमा एवं संरक्षण संबंधी प्रावधानों की जानकारी को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पाई गई।

इस सर्वे के परिणामों में एक गंभीर तथ्य सामने आया है कि जिला न्यायालय दुर्ग में भी कुछ महिलाएँ कार्य स्थल पर उत्पीड़न का अनुभव करती हैं किन्तु सामाजिक संकोच, भय या प्रक्रिया की अपर्याप्त जानकारी के कारण शिकायत नहीं करती हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि जिला न्यायालय दुर्ग में कार्यरत महिलाओं के मध्य जागरूकता और विश्वास का माहौल बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि महिलाएँ बिना भय के अपनी बात रख सकें। जिला न्यायालय ने इस "चुप्पी" को गंभीरता से लिया और इसे तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया।

**Together,
let's create a
Safe Workplace,
free of harassment**



विशाखा समिति, जिला न्यायालय, दुर्ग

वर्तमान में जिला न्यायालय दुर्ग में भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कार्यालयीन ज्ञापन क्र. क /दो-12-08/1975 दुर्ग दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से एक आंतरिक शिकायत कमिटी का गठन किया गया है जोकि निम्नानुसार है-



अध्यक्ष - सुश्री सुनीता बारा,
चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग



सदस्य - श्री अनिश दुबे,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ एफ.टी.सी. दुर्ग



सदस्य - श्रीमती सुषमा लकड़ा,
अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, दुर्ग



सदस्य - श्रीमती अंजलि सिंह,
प्रथम व्या. न्या. वरिष्ठ श्रेणी के पंचम अति. न्यायाधीश, दुर्ग



सदस्य - श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल,
दशम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग



सदस्य - सुश्री बी.एस. कांति.
अधिवक्ता, दुर्ग



सदस्य - श्री अजय कुमार शर्मा,
सांख्यिकीय लिपिक, दुर्ग



सदस्य - श्रीमती शोमिता भट्टाचार्य,
स्टेनोग्राफर ग्रेड- 01, दुर्ग

विशाखा समिति और जागरूकता कार्यशाला

उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय दुर्ग में न्यायालय परिसर में महिलाओं के प्रति सम्मान और संरक्षण के लिए **ज्ञापन क्रमांक 7811/आं.शि.स./ दुर्ग दिनांक 09.10.2025** पहले से ही **न्यायालय परिसर हेतु स्वीकृत आचरण (Code of Conduct)** लागू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत न्यायालय परिसर में कार्यरत महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। जारी कोड ऑफ कंडक्ट निम्नानुसार है -

जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)



न्यायालय परिसर हेतु स्वीकृत आचरण: महिलाओं के प्रति सम्मान और संरक्षण



यह न्यायालय परिसर में सभी संबंधित व्यक्तियों (अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी, और पक्षकार) के लिए महिलाओं के प्रति आचरण के अनिवार्य नियम निर्धारित करती है।



समानता (Equality)

- * किसी भी भेदभाव का निषेध : लिंग, जाति, धर्म, या सामाजिक/आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- * समान अवसर: सभी अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।



पेशेवर आचरण (Professional Conduct)

- * शिष्टता और मर्यादा : सभी अधिकारी, अधिवक्ता, और कर्मचारी को अत्यंत शिष्ट भाषा और मर्यादा बनाए रखनी होगी।
- * अनावश्यक टिप्पणी पर रोक: किसी भी महिला की क्षमता या गरिमा पर कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की जाएगी।



सुरक्षा और गरिमा (Safety and Dignity)

- * उत्पीड़न पर कठोर निषेध : उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा, या किसी भी अनुचित व्यवहार पर पूर्ण और कठोर रोक।
- * यौन उत्पीड़न रोकथाम: आंतरिक शिकायत समिति (ICC) यौन उत्पीड़न को रोकने और शिकायतों के निवारण हेतु सक्रिय रूप से कार्य करेगी।



प्रशंसनीय आचरण (Commendable Conduct)

- * सभी संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय परिसर के भीतर एक सकारात्मक, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- * महिलाओं की क्षमता और गरिमा पर हमेशा सकारात्मक और सम्मानपूर्ण रुख अपनाना चाहिए।



निष्पक्षता (Impartiality)

- * सम्मानजनक व्यवहार : महिला पक्षकार, गवाह, अधिवक्ता, या कर्मचारी को अन्य सभी के समान सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त होगा।
- * गोपनीयता और सुरक्षा : उनकी गोपनीयता और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन-कैमरा (बंद कमरे में) कार्यवाही का प्रावधान।



जवाबदेही (Accountability)

- * अनुशासनात्मक कार्यवाई: उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार की घटना पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।
- * त्वरित निवारण : शिकायतों का निवारण गोपनीय, निष्पक्ष, और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

निष्कर्ष: न्यायालय परिसर के भीतर हर महिला की गरिमा सुरक्षा, और सम्मान सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य दायित्व है।

आदेशानुसार

इसी क्रम में, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने के लिए, जिला न्यायालय दुर्ग में गठित विशाखा समिति (Vishakha Committee) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से दिनांक 21/01/2026 को एक विशेष कार्यशाला (Workshop) का आयोजन किया। उक्त कार्यशाला में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं महिला बाल विकास के अधिकारी उपस्थित रहे।

- **उद्देश्य:** महिलाओं को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम POSH Act के बारे में जागरूक करना। जिला न्यायालय में गठित आंतरिक शिकायत कमिटी के बारे में जानकारी देना।
- **मुख्य बिंदु:** कार्यशाला में यह सिखाया गया कि 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' POSH Act क्या है। उत्पीड़न की परिभाषा क्या है और ऐसी स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए।
- **SHe-Box (शी-बॉक्स) पोर्टल:** एक डिजिटल समाधान- प्रतिभागियों को SHe-Box जोकि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं।



SHE-BOX

**Online Complaint
Management System
for
Sexual Harassment at
Workplace**



आचार संहिता (Code of Conduct) का क्रियान्वयन

न्यायालय परिसर में आने वाली महिला पक्षकारों के सम्मानजनक अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय पृष्ठांकन क्रमांक 367/दो-12-1/2007, दुर्ग दिनांक 24/1/2026 के माध्यम से आचार संहिता लागू की गई है। यह पहल न्यायालय परिसर को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय में आने वाली **महिला पक्षकारों (Litigants)** के लिए जिला न्यायालय दुर्ग ने अब एक **नई आचार संहिता** तैयार की है, जिसका पालन उन सभी महिलाओं के साथ करना अनिवार्य होगा जो अपने कानूनी कार्यों के लिए न्यायालय आती हैं। इसमें महिला पक्षकारों के साथ शालीन व्यवहार, उनकी गोपनीयता और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। जारी की गई आचार संहिता निम्नानुसार है -

District Court Durg

महिला पक्षकारों के साथ कार्यस्थल पर किये जाने वाले
मानव व्यवहार की अपेक्षा-

Do

- महिला पक्षकार से "आप/जी" में बात, धीमी आवाज में, स्पष्ट निर्देश। यदि महिला असहज / घबरायी है तो हेल्प डेस्क / महिला कर्मचारी / पी.एल. वी. की सहायता उपलब्ध कराना
- गर्भवती, वृद्ध, दिव्यांग, महिला के साथ यदि बच्चा है तो यथासंभव प्राथमिकता / बैठने की सुविधा। आवश्यक हो तो काउंटर के बजाए बैठाकर संक्षिप्त मदद देना।
- अनावश्यक दौड़ भाग न कराना। यदि नियम अनुमति दे तो टोकन / रसीद / रजिस्टर एंट्री देकर ट्रेकिंग सुविधा
- विशेष मामलों (पॉक्सो, 376, 498 ए एवं डी.वी. एक्ट में बिना लैंगिक भेदभाव के संवेदनशीलता के साथ लैंगिक संवेदीकरण युक्त व्यवहार करना।

Don't

- व्यक्तिगत सवाल / मोबाईल नंबर / पता / वैवाहिक स्थिति आदि अनावश्यक रूप से न पूछना।
- डांटना/ताने/व्यंग्य/ऊंची, आवाज तुम तू का संबोधन नहीं होना चाहिए।
- महिला को अकेले कमरे / रिकार्ड रूम / एकांत में न बुलाया जाना। सहायता हेतु हमेशा ओपन काउंटर / दृश्य क्षेत्र में बातचीत करना।
- अशोभनीय टिप्पणियां, घूरना, छेड़खानी, अश्लील / दोहरे अर्थ की बात न करना
- मामले / आदेश / तारीख की जानकारी बिना अधिकृत कारण के किसी तीसरे व्यक्ति को न देना।

टीप- यदि महिला पक्षकार के साथ किसी न्यायालयीन कर्मचारी की वाद-विवाद की स्थिति बनती है तो कर्मचारी तुरंत पीठासीन अधिकारी के सामने उस महिला को प्रस्तुत करे।

आदेशानुसार

कार्यशाला उपरांत सुझाव एवं अनुशंसाएँ

- नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाए।
- ICC के सदस्यों, संपर्क विवरण एवं प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
- गोपनीय एवं निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत किया जाए।
- महिला कर्मियों हेतु काउंसलिंग एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग की व्यवस्था की जाए।
- कार्यस्थल पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

निष्कर्ष-

यह सर्वे दर्शाता है कि जिला न्यायालय दुर्ग में कार्यरत महिलाओं के लिए वातावरण सामान्यतः सुरक्षित है, तथापि कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। समयबद्ध सुधारात्मक कदम, निरंतर जागरूकता एवं संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यस्थल को और अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। साथ ही यह सर्वे यह भी दर्शाता है कि जिला न्यायालय दुर्ग को कार्य स्थल पर केवल कार्यरत महिलाओं हेतु सुरक्षित वातावरण ही प्रदाय किये जाने की ओर ही नहीं बल्कि कार्यरत पुरुषों को भी महिलाओं के साथ किस प्रकार व्यवहार एवं आचरण किया जाना चाहिए इस संबंध में भी जागरूकता की आवश्यकता है। इसी निष्कर्ष से उत्प्रेरित होकर ही जिला न्यायालय दुर्ग के द्वारा न्यायालय परिसर में आने वाली महिला पक्षकारों के सम्मानजनक अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता लागू की गई है। जिला न्यायालय दुर्ग महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और न्याय के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस दिशा में निरंतर प्रयास करता रहेगा।

